UPLK010040682018

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष वाद सं0 270 / 2020

सरकार **बनाम** शुभम त्रिवेदी आदि

अ0सं0 588 / 2017
धारा–323,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)ध एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–अलीगंज, लखनऊ।

22–12–2022

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगणगण शुभम त्रिवेदी, जितेन्द्र सिंह जेरे जमानत न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगणगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1) ध एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 23–02–2023 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010040682018

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष वाद सं0 270/2020

सरकार **बनाम** शुभम त्रिवेदी आदि

अ0सं0 588/2017
धारा–323,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)ध एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–अलीगंज, लखनऊ।

आरोप

मैं, नरेन्द्र कुमार–III, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण शुभम त्रिवेदी व जितेन्द्र सिंह को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः यह कि दिनांक 12–10–2017 को समय 02:00 बजे दोपहर थाना अलीगंज जिला लखनऊ सीमान्तर्गत स्थित रिलीव हास्पिटल सीतापुर रोड पर वादी मुकदमा राज कुमार के पुत्र सुशान्त कुमार को मारपीट कर उन्हें साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप ने वादी मुकदमा राज कुमार के पुत्र सुशान्त कुमार को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने वादी मुकदमा राज कुमार के पुत्र सुशान्त कुमार को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने वादी मुकदमा राज कुमार के पुत्र सुशान्त कुमार, जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नरेन्द्र कुमार–III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
J.O. Code UP5950

दिनांकः 22–12–2022

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(नरेन्द्र कुमार–III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
J.O. Code UP5950

दिनांकः 22–12–2022

Digitally signed by NARENDRA KUMAR III
Date: 2022.12.23 19:48:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court